



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा लूट का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लुटेरे व 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार

- लूट के 63,388/- रुपये नकद बरामद
- 03 मोटरसाइकिल बरामद
- 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2023 को वादिया कुमारी रचना पुत्री रामकुमार नि० ग्राम डिग्गी थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारन पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि वह सोनाटा प्रा० लि० कम्पनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त है तथा थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र से 63,388/- रू० इकट्टा करके अपने कार्यालय रामपुर मनिहारन आ रही थी तो रास्ते में सलेमपुर तालाब के पास पीछे से मोटर साइकिल सवार अज्ञात युवको ने भयभीत कर रूपयो से भरा बैग लूट लिया। जिसके संबंध में कार्यवाहक थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन द्वारा तत्काल मु०अ०सं० 71/23 धारा 392 भादवि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पीडिता से घटना के सम्बन्ध में जानकारी लेकर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कार्यवाहक थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देशित किया गया। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.03.2023 को अभियुक्त 1.सौरभ पुत्र भूषण नि० ग्राम सांचलू थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर, 2.टिंकू पुत्र लख्मीचन्द निवासी महेशपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर, 3. सचिन पुत्र कंवरसैन नि० सांचलू थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर 4.शहरून उर्फ शाहरूख पुत्र गय्यूर नि० ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर सलेमपुर छोटी नहर मन्दिर के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं० UK08AN-0540 व UP11AM-1465 के गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से लूट के 63,388/ रुपये एवं अभियुक्त सौरभ के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

सौरभ, टिंकू व सचिन तीनों दोस्त थे और मजदूरी करते थे। तीनों को काफी समय से कोई काम नहीं मिल रहा था जिस कारण पैसे की कमी होने से इन तीनों ने लूट करने की योजना बनायी। सौरभ यह जानता था कि उसके गांव सांचलू से एक महिला सोनाटा फाईनेन्स कम्पनी का पैसा इकट्टा करके रामपुर मनिहारन ले जाती है, जिसके पास काफी पैसा होता है। योजना के मुताबिक दिनांक 28.03.2023 को सौरभ, टिंकू व सचिन द्वारा सलेमपुर रोड पर महिला को भयभीत करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और वहां से जंगल में भाग गये। पूछताछ पर

सौरभ ने बताया कि करीब 04 माह पहले मैंने अपने साथी **शहरून उर्फ शाहरूख** के साथ मिलकर थाना कुतुबशेर क्षेत्र से मोटरसाइकिल हीरो सुपरस्पलेंडर UP11BJ -9636 चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सौरभ पुत्र भूषण नि० ग्राम सांचलू थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर उम्र 22 वर्ष, (9वीं पास)
2. टिकू पुत्र लख्मीचन्द निवासी महेशपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर उम्र 25 वर्ष, (10 वीं पास)
3. सचिन पुत्र कंवरसैन नि० सांचलू थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर उम्र 22 वर्ष, (9वीं पास)
4. **शहरून उर्फ शाहरूख पुत्र गय्यूर** नि० ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर (चोर) उम्र 23 वर्ष, (5वीं पास)

बरामदगी का विवरण:-

- 63,388/- रूपये नकद
- 03 मोटरसाइकिल
 1. UK08AN-0540 सूपर स्पलेंडर
 2. UP11 AM-1465 हीरो एचएफ डीलक्स
 3. UP11BJ-9636 सूपर स्पलेंडर
- 01 तंमचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा

अभियुक्त सौरभ का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 71/2023 धारा 392/411 भादवि थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर
- 2- मु०अ०सं० 72/2023 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर
- 3- मु०अ०सं० 73/2023 धारा 414 भादवि थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर

अभियुक्त टिकू का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 71/2023 धारा 392/411 भादवि थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 71/2023 धारा 392/411 भादवि थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शहरून उर्फ शाहरूख का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 73/2023 धारा 414 भादवि थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा शांतिर आयुध अधिनियम के अपराधी की कराई गई
जमानत निरस्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनुरूप में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे जमानत निरस्तीकरण अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त शाहरुख पुत्र जमील नि० बडी नहर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु०अ०स० 508/2018 धारा 25 आयुध अधि० थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के जमानती पंकज कुमार पुत्र पवन सिंह नि० नंगला खारी थाना कुतुबशेर सहारनपुर को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर जमानत निरस्त कराई गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार सहारनपुर भेजा गया।

अभियुक्त का नाम व पता -

शाहरुख पुत्र जमील नि० बडी नहर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०स० 134/2015 धारा 406/420/467/468 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. मु०अ०स० 390/2017 धारा 13 जी एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. मु०अ०स० 645/2017 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. मु०अ०स० 508/2018 धारा 25 आयुध अधि० थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. मु०अ०स० 002/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. मु०अ०स० 426/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. मु०अ०स० 308/2021 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

नाम अधिकारी /कर्मचारी -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. पैरोकार है०का० 1048 नवीन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 29/03/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, मारपीट, बलवा करने वाले 14 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2023 को ग्राम चालाकपुर में शराफत पुत्र हबीब व मुस्तकीम पुत्र जमील आदि के बीच में पुरानी मुकदमें बाजी में कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों के काफी आदमी लाठी डण्डे व धारदार हथियार लेकर एक दूसरे पर आमादा फौजदारी के लिए बड़ी मस्जिद पर इकट्ठा थे। दोनों पक्षों के लोग जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लाठी डण्डे लेकर एक दूसरे के साथ आमादा फौजदारी होते हुए दौड़ दौड़ कर मारपीट व गाली गलोच करने लगे। एक दूसरे पर ईंटे फेंक रहे थे जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गये थे। तभी भीड़ से दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायर किया। गांव चालाकपुर में आमजन काफी भयभीत हो गये, लोगों ने भय वश अपने दरवाजे बन्द कर लिये। काफी अफरा तफरी का माहोल था। मौके पर पहुँची चिलकाना थाना पुलिस के समझाने के दौरान दोनों पक्षों ने पुलिस टीम पर भी एक राय होकर हमला कर दिया, जिससे विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, शत्रुता व लोक शान्ति भंग होने की स्थिति में थाना प्रभारी चिलकाना के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा घटना पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मौके से अभियुक्तगण 1- शराफत पुत्र हबीब 2- फिरोज पुत्र गालिब 3- दाउद पुत्र रफीक 4- इन्जमाम पुत्र रागिब 5- बिलाल पुत्र याकूब 6- तय्यैब पुत्र हनीफ 7- महबूब पुत्र रफीक 8- सालिब पुत्र गालिब निवासी गण चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 9- समीम पुत्र सलीम 10- सलमान पुत्र सलीम निवासी गण ग्राम घान्ना थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 11- मुस्तकीम पुत्र जमील 12- लियाकत पुत्र इस्लाम 13- कदीम पुत्र मुस्तकीम 14- मारुफ उर्फ भूट्टो पुत्र फारुख समस्त निवासीगण चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को दिनांक 28.03.2023 की रात्रि को हिरासत में लिया गया। जिनके विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 50/2023 धारा 34/147/148/149/307/323/324/506/353/336 भा0द0वि0 व 7 लॉ क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गणों को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त गणों का नाम पता:-

1. शराफत पुत्र हबीब निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
2. फिरोज पुत्र गालिब निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
3. दाउद पुत्र रफीक निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
4. इन्जमाम पुत्र रागिब निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
5. बिलाल पुत्र याकूब निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
6. तय्यैब पुत्र हनीफ निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
7. महबूब पुत्र रफीक निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
8. सालिब पुत्र गालिब निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
9. समीम पुत्र सलीम निवासी गण ग्राम घान्ना थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
10. सलमान पुत्र सलीम निवासी गण ग्राम घान्ना थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
11. मुस्तकीम पुत्र जमील निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
12. लियाकत पुत्र इस्लाम निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
13. नदीम पुत्र मुस्तकीम निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
14. मारुफ उर्फ भूट्टो पुत्र फारुख निवासी चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर



दिनांक: 29/03/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर बैनामा कराने वाला 01

जालसाज गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.23 को वादी श्री गुलबहार अहमद पुत्र महबूब अहमद निवासी ग्राम पांडौली, थाना नागल जिला सहारनपुर ने अभियुक्तगण सुहेल पुत्र अनवर निवासी ग्राम दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर आदि द्वारा वादी से जमीन के नाम पर धोखाधडी से फर्जी कागजात तैयार कर 20 लाख रुपये हडप लेना और पैसे वापस मांगने पर बंधक बना लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 102/2023 धारा 420/467/468/471/342 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

एवं अन्य वादी श्री अदनान पुत्र मौ0 अहमद नि0 मौ. मुबारकशाह भारत धर्म कांटा बेहट रोड थाना को0 देहात सहारनपुर ने थाने आकर लिखित सूचना दी कि अभियुक्तगण 1- मौ0 सुहेल पुत्र अनवर निवासी ग्राम दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर आदि के द्वारा बैनामे की फर्जी रशीद तैयार कर पैसे ले लेना वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु.0अ0सं0 103/2023 धारा 420/406/506 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 थाना कोतवाली देहात श्री मनोज कुमार चाहल के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अभि0 मौ0 सुहेल पुत्र अनवर निवासी ग्राम दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ0 सुहैल पुत्र अनवर निवासी ग्राम दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मौ0 सुहैल उपरोक्त आदि द्वारा एक फर्जी बैनामा कराने का गैंग बना रखा है जो अपने साथियों के साथ मिलकर भोली भाली जनता को जमीन दिलबाने के नाम पर फर्जी बैनामे तैयार कर रुपये ऐंठते है।

अभियुक्त मौ0 सुहैल उपरोक्त द्वारा लालच वश अपराध किया गया। वर्ष 2023 से अपराध कारित कर रहा है। अभियुक्त मौ0 सुहैल मुस्लिम गाडा जाति से है आर्थिक स्थिति ठीक है। जो प्रोपर्टी का कार्य करता है।

आपराधित इतिहास-

मु0अ0सं0 102/2023 धारा 420/467/468/471/342 भादवि

मु.0अ0सं0 103/2023 धारा 420/406/506 भादवि



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में अपराधों की हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.03.23 को विधि विरुद्ध बालक (बाल अपचारी) भूरा उर्फ सौरभ पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 59/2023 धारा 323/352/452/325/308 भादवि को हिरासत में लिया गया। विधि विरुद्ध बालक (बाल अपचारी) के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- बाल अपचारी भूरा उर्फ सौरभ पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह सहारनपुर ने बताया कि दिनांक 10.03.22 को रन्धेडी गाँव में ही किसी बात को लेकर आकाश व उसके पिता महक सिंह से झगडा व मारपीट हो गयी थी। उसके साथ मारपीट में गाँव के ही नाथीराम, रवि पुत्रगण लेखराज नि0 रन्धेडी थाना गंगोह सहारनपुर भी शामिल थे। इसके अलावा उसने पहले कभी कोई किसी भी तरह का अपराध या झगडा नहीं किया है।

हिरासत में लिए गये विधि विरुद्ध बालक (बाल अपचारी) का नाम व पता:-

भूरा उर्फ सौरभ पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह सहारनपुर



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने वाला अपहणकर्ता गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.03.2023 को वादी द्वारा अपनी नाबालिग बहन उम्र 17 वर्ष को आरोपी अभिषेक पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर द्वारा बहला फुसलाकर नाबालिग का अपहृत कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 21/2023 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में अपहृता की बरामदगी हेतु गठित थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.03.2023 की रात्रि को मु0अ0सं0 21/2023 धारा 363 भादवि के वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर अपहृता उम्र 17 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर आज दिनांक 29.03.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभिषेक पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



दि० 29.03.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **नरेन्द्र पुत्र महीपाल निवासी ग्राम भावसी थाना नानौता सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 1836/21 मु०अ०स० 121/13 धारा 324 भादवि थाना तीतरों मनियारन सहारनपुर सम्बन्धित** को गिरफ्तार किया गया । वारंटी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारण्टी का नाम व पता:-

1.नरेन्द्र पुत्र महीपाल निवासी ग्राम भावसी थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.उ०नि० श्री मुकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 3.का० 2228 हरिभान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 4.का० 1459 विकास कुमार थाना नानौता सहारनपुर



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.03.23 को वारण्टी अभियुक्त वाजिद पुत्र अलीनवाज नि0 ग्राम हमजागढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर सम्बन्धित मुकदमा न0- 199/22 मु0अ0सं0 धारा 25 आर्म्स एक्ट अ0सं0 181/2000 चालानी थाना गंगोह सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वाजिद पुत्र अलीनवाज नि0 ग्राम हमजागढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर एनबीडब्लू वारंटी को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशो निर्देशों के अनक्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियो व लम्बित एनबीडब्लू / वारन्टियो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.03.2023 को एनबीडब्लू वारंटी टीपू पुत्र शमीम निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 8367/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 सहारनपुर चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। वारंटी टीपू उपरोक्त थाना कुतुबशेर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। वारंटी अभियुक्त टीपू उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

टीपू पुत्र शमीम निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने व वाली पुलिस पार्टी –

4. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
6. का0 1773 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

उजैर पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला कटहल कालोनी जिकरिया मस्जिद थाना मंडी सहारनपुर संबंधित वाद संख्या 1377/2021 धारा 125 (3) सियारपीसी चालानी थाना फतेहपुर सहारनपुर माननीय न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश /परिवार न्यायालय सहारनपुर नियत थिति 12.04.2023

पुलिस पार्टी -

- उ0नि0 सचिन त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- है0कां0 597 मोहसीन खान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- कां0 2281 रोहित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट दिनांक-29/03/2023

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्त को 10 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के द्वारा चलाये गये नशे के तस्करो की धरपकड अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 श्री नरेश सिंह मय हमराही फोर्स के दिनांक-29.03.2023 को 01 अभियुक्त को सोसाइटी के सामने रायपुर रोड से 10 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 079/2023 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त के पति ने अभियुक्त को छोड दिया था, इसका एक 5 वर्ष का बच्चा भी है। यह अपने मायके में रहती है। बीमार रहने पर आमदनी का कोई जरिया ना होने के कारण इसने यह काम शुरू किया।

बरामदगी का विवरण

10 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.व0उ0नि0 श्री नरेश सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 2.हे0का0 639 मुकेश त्यागी, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 3.हे0का0 1050 नितिन कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 4.म0का0 2137 कविता ठाकुर, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 5.म0का0 2141 प्रियम पंवार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 29-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित पेड काटने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा गठित टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि० गण 1. हारुन पुत्र नेकी निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 2. सालिफ पुत्र महरूप निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को दिनांक 29.03.2023 को गाडा तिराहा कस्बा मिर्जापुर से मय 70 टुकडे हरे आम के पेड के समय मय ट्रैक्टर ट्राली के गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे अभि० गण हारुन , सालिफ उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 45/2023 धारा 4/10 वन अधि० पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पते –

1. हारुन पुत्र नेकी निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. सालिफ पुत्र महरूप निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

अभि० गण के कब्जे से 70 टुकडे हरे आम के पेड मय ट्रैक्टर ट्राली

पुलिस पार्टी –

1. उ०नि० प्रमौद नैन थाना मिर्जापुर सपुर
2. का० 2194 लक्ष्मण सिंह थाना मिर्जापुर सपुर
3. का० 2110 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर सपुर



दिनांक: 29/03/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक्सिडेंट कारित कर 04 लोगो की मृत्यु
कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2023 को थाना मिर्जापुर को सूचना मिली कि ग्राम असगरपुर में एक घातक एक्सीडेन्ट हो गया है जिसमें करीब 5 व्यक्तियों गम्भीर रूप से घायल हैं सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा मजरुबो **1.नसीम पुत्र हासिम 2.नसीरा पत्नी हाशिम 3. तरन्नुम पत्नी तासीम 4. रीजा पुत्री तासीन 5. रेहान पुत्र तासीन निवासी गण ग्राम खुशहालपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को वास्ते इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया जहाँ पर डाक्टरों द्वारा मजरुब **1.नसीम 2.नसीरा , 3. तरन्नुम 4. रीजा उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया तथा रेहान गम्भीर रूप से घायल है** जिसका इलाज जिला अस्पताल सहारनपुर में चल रहा है। उक्त घटना के सम्बन्ध में आकिल पुत्र जमील निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की दाखिला तहरीर के आधार पर i20 गाडी जिसका रजि0 न0 up 11 bx 1415 के चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 44/23 धारा 279/338/304ए/427भादवि पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अन्दर 12 घण्टे उपरोक्त गाडी के चालक ऋषि गुम्बर पुत्र श्री केवल किशन गुम्बर निवासी 127 मिशन कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर को समय 10.30 बजे दिनांक 29.3.2023 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता -

ऋषि गुम्बर पुत्र श्री केवल किशन गुम्बर निवासी 127 मिशन कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने बताया कि वह विकासनगर से सहारनपुर जा रहा था, जैसे ही मैं असगरपुर गांव के रास्ते पर पहुंचा तो सामने से आ रही मोटरसाईकिल जो रांग साईड आ रहा थी, को बचाने की कोशिश में एक्सिडेंट हुआ है।



प्रेस नोट 29.03.23

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नफर गैंगस्टर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.03.2023 को गैंगस्टर के मु0अ0सं0 50/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त **आशीष कुमार पुत्र प्रवीन नि0 ग्राम अब्दुलापुर अहाडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **आशीष उपरोक्त अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी करता है।** अभियुक्त आशीष को कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्त आशीष उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह B.A द्वितीय वर्ष का छात्र है।** अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशीष कुमार पुत्र प्रवीन नि0 ग्राम अब्दुलापुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

थाना	मु0अ0सं0	धारा	अभियुक्त का सम्पूर्ण पता
को0नगर	मु0अ0सं0 286/21	धारा 380/411/454 भादवि	नि0 ग्राम अब्दुलापुर अहाडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
को0नगर	मु0अ0सं0 310/22	धारा 398/401 भादवि	नि0 ग्राम अब्दुलापुर अहाडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
को0नगर	मु0अ0सं0 314/22	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	नि0 ग्राम अब्दुलापुर अहाडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
को0नगर	मु0अ0सं0 50/23	धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट	नि0 ग्राम अब्दुलापुर अहाडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 यशवीर सिंह राणा थाना को0नगर सहारनपुर
2. का0 483 अर्जुन सोलंकी थाना को0नगर सहारनपुर
3. का0 2484 सुभाष थाना को0नगर सहारनपुर



प्रेस नोट 29.03.23

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नफर गैंगस्टर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.03.2023 को गैंगस्टर के मु0अ0सं0 50/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त **अभिषेक पुत्र कमरपाल नि0मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर उम्र. 21 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **अभिषेक उपरोक्त अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी करता है।** अभियुक्त अभिषेक को कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त आज कल मजदूरी कार्य करता है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक पुत्र कमरपाल नि0मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर उम्र. 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास

थाना	मु0अ0सं0	धारा	अभियुक्त का सम्पूर्ण पता
को0नगर	मु0अ0सं0 286/21	धारा 380/411/454 भादवि	नि0मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
को0नगर	मु0अ0सं0 178/22	धारा 380/411/454 भादवि	नि0मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
को0नगर	मु0अ0सं0 310/22	धारा 398/40 भादवि	नि0 मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
को0नगर	मु0अ0सं0 313/22	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	नि0मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
को0नगर	मु0अ0सं0 50/23	2/3 गैंगस्टर अधि0	नि0मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 राहुल देशवाल थाना को0नगर सहारनपुर
2. है0का0438 दिनेश भाटी थाना को0नगर सहारनपुर
3. है0का0 810 अरुण यादव थाना को0नगर सहारनपुर
4. का0 2191 उपेन्द्र थाना को0नगर सहारनपुर